

प्रेस नोट

26.07.2021

अवैध तमंचा मय जिंदा कारतूस के साथ एक शातिर गिरफ्तार—

आज दिनांक 26.07.2021 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर आरटीओ कार्यालय तिराहे के पास से वसीम अहमद पुत्र फैयाज अहमद निवासी हैदरनगर थाना कोतवाली जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 287 /21 धारा 3 /25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 26.07.2021 को थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान निसाद नगर से मु0अ0सं0 129 /21 धारा 363,366 भादवि0 में वांछित अभियुक्त किशन उर्फ कृष्णा साहनी पुत्र श्रीराम साहनी निवासी निसाद नगर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 50 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 26.07.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा बाबुलाल निवासी डरारी थाना चिरैयाकोट, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा अमित यादव निवासी रसूलपुर, प्रियाशू राय निवासी ठाकुरगांव भगवानपुर थाना दोहरीघाट, थाना घोसी पुलिस द्वारा विनय सिंह, अविनाश सिंह निवासीगण पाण्डेयपार, प्रदीप सिंह, राजेश्वर सिंह निवासीगण करमपुर, रमेश निवासी बनाफा थाना घोसी, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा विनय कुमार निवासी कोन्हिया, मोहसिन खान, इरशाद, समसाद, सलमसाह निवासीगण इटौरा, सग्राम सिंह, राधवेन्द्र सिंह निवासीगण अरदौना, हिमांशु निवासी मुबारकपुर थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा सूresh, अम्बरनाथ, विजय कुमार निवासीगण छपरा थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अजमल, मो0 नसीम, दिनेश, मनीष निवासीगण हट्ठीमदारी थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा मरहू, अमरनाथ, सगिलू, लालता निवासीगण धर्मपुर कसायर, जयराम गुप्ता, विशाल, विकाश, विवेक निवासीगण कस्बा मधुबन जनपद मधुबन, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा चन्द्रीका फतेहपुर हरी, सम्भू, केदार, रामसरिक, रमेश निवासीगण भवनपुरा थाना रानीपुर, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा मून्ना, सत्यदेव, अमिन निवासीगण अलीनगर, रामशब्द, रोधन, रामभजन निवासीगण काझाखुर्द थाना सरायलखंसी, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा नितेश निवासी आर्दशनगर, राजू चौहान, योगेन्द्र चौहान निवासीगण मीरपुर रहीमाबाद थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।